प्रेस विज्ञप्ति
23/07/2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने दिनांक 22.07.2024 को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत धन-शोधन मामले में मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। हिमांशु कुमार को दिनांक 23.11.2023 को विशेष न्यायाधीश (एसपीई/सीबीआई) (पीएमएलए मामलों के लिए विशेष न्यायालय), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 7 दिनों के लिए दिनांक 29.07.2024 तक ईडी की हिरासत प्रदान की है।

ईडी ने राशीद नसीम और शाइन सिटी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज लगभग 554 एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी व्यक्तियों, सहयोगियों और प्रमोटरों ने कई कंपनियों को शामिल किया और रियल एस्टेट क्षेत्र और अन्य आकर्षक योजनाओं में निवेश की आड़ में पोंजी-पिरामिड योजना में जनता से धन एकत्र किया। इसके बाद, जनता को धोखा दिया और एकत्र किए गए धन को पथांतरित कर दिया।

ईडी की जांच में पदचिन्ह अभिज्ञात हुए और पाया गया कि ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को अंतरित और पथांतरित किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति हिमांशु कुमार ने श्रद्धा सबुरी इंफ्रा-डेवलपर्स, स्केपर्स रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड, भव्य ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, रियलकॉन लिंक्स आदि जैसी कई कंपनियों को शामिल एवं नियंत्रित किया। ग्राहकों से एकत्र किए गए धन को हिमांशु कुमार के स्वामित्व, नियंत्रण और प्रचालन वाली संस्थाओं में अंतरित कर दिया गया। लगभग 40 करोड़ रुपये उपरोक्त संस्थाओं के बैंक खातों और उसके व्यक्तिगत बैंक खाते में अंतरित किए गए थे। इस तरह से निकाले गए धन को जमीन में निवेश किया गया और अन्य रियल एस्टेट परियोजनाएं स्थापित की गईं। वर्तमान में, हिमांशु कुमार निर्दोष निवेशकों से एकत्र किए गए धन का उपयोग कर के उपरोक्त भूमि पर आवास परियोजनाएं चला रहे हैं।

इससे पहले ईडी ने 160.28 करोड़ रुपये कीमत की विभिन्न अचल संपत्तियां अभिज्ञात एवं कुर्क की हैं। इससे पहले ईडी ने नवंबर 2023 में भारत भर में 18 स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली थी। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे हिरासत में पूछताछ की गई है।

आगे की जांच जारी है।